

महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Mrs. Ramandeep Kaur

Research Scholar,
Department of Education
Shri Khushal Das University
Near Toll Plaza, Suratgarh Road,
Hanumangarh (Raj.) – 335801

Dr. Gurmeet Singh

Assistant Professor
Department of Education
Shri Khushal Das University
Near Toll Plaza, Suratgarh Road,
Hanumangarh (Raj.) – 335801

प्रस्तावना :-

सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर अब तक, पाषाणकाल से

सूतनिक युग तक नारी, नर के जीवन का पोषण एवं उन्नयन करती रही हैं। आज तक अपनी ममता, वात्सल्य, त्याग, करुणा, कोमलता एवं मधुरता से पुरुष की कठोरता एवं रुक्षता को कम कर जीवन में एक स्थिर, अजस्त्र प्रेमधारा बहाने में अपूर्ण योग दिया है। यह सत्य हैं कि संघर्ष पुरुष की जीवन प्रेरणा शक्ति का प्रमाण रहा है, किन्तु विश्व का सामाजिक इतिहास बतलाता है कि पुरुष ने प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी न किसी अंश में माता, बहिन, पत्नी, प्रेयसी आदि से किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा अवश्य प्राप्त की ही हैं।

आँचल में दूध और आँखों में पानी, लिये त्यागमयी नारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग रही है और यह स्पष्ट हैं कि हमारी आदिमकालीन गृहस्थी का शिला न्यास नारी की कोमलता के कर —कमलों द्वारा ही हुआ होगा, पुरुष की कठोरता की क्रेन द्वारा नहीं। महादेवी जी के शब्दों में — ‘पुरुष को यदि ऐसे वृक्ष की उपमा दी जाय, जो अपने चारों ओर के छोटे—छोटे पौधों का जीवन रस चूस—चूस कर आकाश की ओर बढ़ता जाता है तो स्त्री को ऐसी लता कहना होगा जो पृथ्वी से बहुत से अंकुरों को पनपाती हुई उस वृक्ष की विशालता को चारों ओर से ढक लेती है।...प्रकृति ने केवल उसके शरीर को ही अधिक सुकुमार नहीं बनाया, वरन् उसे मनुष्य की जननी का पद देकर उसके हृदय में अधिक संवेदना, आँखों में अधिक आर्द्धता तथा स्वभाव में अधिक

कोमलता भर दी।’’ अपनी रुक्षता के कारण पुरुष जहाँ प्रतिशोध लेता है, वहाँ नारी अपनी कोमलता के कारण क्षमाकर देती है। पुरुष जहाँ शोर्य का प्रतिरूप है, नारी वहाँ प्रेरणा की प्रतीक है।

‘किसी भी मानव समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है और कोई भी समाज इसे नजर अन्दाज नहीं कर सकता है। स्त्रियां राष्ट्र के विकास के लिए उतना ही महत्व रखती हैं। जितना महत्व उस देश के लिए खनिज पदार्थों, वहाँ की नदियों और वहाँ की खेती—बाड़ी का है। किसी भी देश के विकास संबंधी सूचकांक को निर्धारित करने के लिये उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ—साथ उस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। नारी की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक है। जहाँ तक भारत देश का संबंध है यहाँ ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता’ का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा है।

इन सबके बावजूद विश्व संस्था का आदर करते हुए तथा अन्य राष्ट्रों से एकजुटता बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना एवं व्यवस्था के अन्तर्गत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निर्मित किया था, और उसी के पश्चात् राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। तीस अनुच्छेद वाले मानव अधिकार घोषणा—पत्र में जिन अधिकारों का उल्लेख है उनमें स्त्री—पुरुष का भेद भाव किए बिना वैयक्तिक जीवन, दैहिक स्वतंत्रता सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति,

निरंकुश गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने पर निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार बसने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शान्तिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सम्मिलित होने का अधिकार जैसे अधिकार शामिल हैं।

पिछले डेढ़ सौ वर्षों से हो रहे सुधारात्मक आंदोलनों कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के उपरान्त भी वर्तमान समाज में स्त्री—समानता एवं स्वतंत्रता का बुनियादी सोच पनप नहीं सका है। इसका प्रमुख कारण रहा कि आजादी के बाद के आंदोलनों ने जातिगत आधार पर टिके धार्मिक कर्मकाण्डों एवं रूढिगत सामन्ती सोच पर कड़ा प्रहार किये बिना ही समानता और स्वतंत्रता की बात की जिसके फलस्वरूप इन आंदोलनों का स्वरूप समझौता परस्त एवं सतही होकर रह गया। स्त्रियों के विकास एवं उत्थान के लिए उठाए गए हर कदम का धार्मिक जड़ता से ग्रस्त कट्टरवादियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया और आज भी किया जा रहा है। आज भी विधवा विवाह बड़ी मुश्किल से होते हैं।

आज भी जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के बावजूद पुत्र प्राप्ति के लिए माताएं एक के बाद एक बच्चे को जनती चली जाती हैं। सोनोग्राफी की मदद से लिंग पहचान कर प्रतिवर्ष किलनिकों में चोरी छिपे लगभग पच्चीस लाख गर्भ सिर्फ इसलिए गिरा दिये जाते हैं क्योंकि गर्भस्थ भ्रूण लड़की का होता है। यह धर्म द्वारा पोषित उसी मध्ययुगीन बर्बर सामन्ती मानसिकता का परिणाम है।

आज हमें ऐसे सोचों को विकसित करने की आवश्यकता है जो स्त्री को पुरुष के दासत्व एवं अधिपत्य से मुक्ति दिला कर उसकी अस्मिता को प्रतिष्ठित करे तथा समानता में सहायक हो, अन्यथा आर्थिक स्वतंत्रता एवं

शिक्षा के बावजूद स्वस्थ, संतुलित समाज का विकास संभव नहीं।

भारत में पैतृकवाद अत्यन्त सफल रहा है और स्वतंत्रता पूर्ण और स्वतंत्रता के बाद के विचारों तथा नीति निर्माताओं ने इसे पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में मामूली सुधार तो हुए ही लेकिन परिवार और व्यापक समाज में स्त्री—पुरुष के बीच सत्ता संबंधों में कोई बदलाव नहीं आता है।

शोध की आवश्यकता :-

क्रियाकलाप समस्त प्रकट एवं अप्रकट व्यवहार के संघटक होते हैं। चूंकि किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप उसके वैयक्तिक जीवन का केन्द्रभूत तत्व होते हैं तथा उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को निर्धारित करने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए यदि हमें सामाजिक परिवर्तन का या समाज किस दशा में आगे बढ़ रहा है इस बात का अध्ययन करना है तो व्यक्ति समूहों के क्रियाकलापों का और इससे भी अधिक क्रियाकलापों में हो रहे परिवर्तनों का परिचय प्राप्त करना परमावश्यक है। इन परिवर्तनों का महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि महिलायें समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अतः इनमें सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रति महिलाओं की अवधारणा ज्ञात करना परमावश्यक है। चूंकि अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के दृष्टिकोण पर कुछ शोध कार्य हुए हैं। लेकिन सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं पर शोध कार्य बहुत ही कम हुआ है। अतः शोधकर्त्ता को महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा का अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई।

समस्या कथन :-

किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए कथन अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समस्या के अभिकथन का एक अर्थ शोध प्रबन्ध के शीर्षक का उल्लेख मात्र करना नहीं है। बल्कि समस्या कथन का अभिकथन एक सुस्पष्ट लक्ष्य पर दृष्टि केन्द्रित करने का प्रयास करना है। प्रस्तुत अनुसंधान की समस्या का शीर्षक निम्नलिखित है – ‘महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन’।

शोध के उद्देश्य :-

१. साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
२. साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का पारिवारिक दृष्टिकोण के प्रति अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन करना।
३. साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का सामाजिक कुरीतियों के प्रति अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनायें :-

१. साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
२. साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का पारिवारिक दृष्टिकोण के प्रति अवधारणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
३. साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का सामाजिक कुरीतियों के प्रति अवधारणा में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

न्यादर्श :-

व्यावहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोधकार्यों में न्यादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोधकार्यों को पुरा नहीं किया जा सकता है। न्यादर्श का तात्पर्य समग्र में से वान्छित चरों से युक्त निश्चित इकाईयों को चुनना है। आधुनिक समय में समस्याओं का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत सम्पर्क करना संभव नहीं होता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक तथ्य या मानवीय व्यावहार के सत्यापन के लिए पूर्णतया या समग्र रूप से अध्ययन असंभव नहीं किन्तु कठिन अवश्य है। अतः अधिकांश: समस्याओं में न्यादर्श द्वारा कार्य सम्पन्न किया जाता है।

१. श्रीगंगानगर जिले की 100 महिलाओं का चयन न्यादर्श हेतु किया गया है।

२. श्रीगंगानगर जिले की साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का चयन किया गया है।

३. श्रीगंगानगर जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का चयन किया गया है।
४. 50 साक्षर एवं 50 असाक्षर महिलाओं का चयन किया गया है।

शोध का सीमांकन :-

१. प्रस्तुत शोधकार्य को श्रीगंगानगर जिले तक सीमित रखा गया है। जिसमें श्रीगंगानगर जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 100 महिलाओं का चयन किया गया है।
२. प्रस्तुत शोधकार्य में 50 साक्षर एवं 50 असाक्षर महिलाओं का चयन किया गया है।

उपकरण :-

प्रस्तुत अध्ययन में दत्त संकलित करने हेतु डॉ. एस. राजाशेखर (अन्ना मल्लाई नगर) का प्रयोग किया गया है।

सांख्यिकी :-

- मध्यमान,
- मानक विचलन
- एवं टी परीक्षण
- प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या।

परिकल्पना :-

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु 100 महिलाओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। इनमें से 50 साक्षर एवं 50 असाक्षर महिलाओं को सम्मिलित कर उनका मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मूल्य ज्ञात किया गया। जो निम्न सारणी में प्रदर्शित है।

सारणी 4.1

साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मूल्य

क्र. सं.	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
१	साक्षर	50	203.64	5.00	31.50	सार्थक
२	असाक्षर	50	136.52	14.25		

व्याख्या एवं विश्लेषण :—

उपरोक्त सारणी प्रदर्शित करती है कि साक्षर महिलाओं का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 203.64 एवं 5 हैं जबकि असाक्षर महिलाओं का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 136.52 एवं 14.25 हैं। दोनों वर्गों का टी मूल्य 31.51 है। यह टी मान .05 स्तर पर सार्थक है।

साक्षर एवं असाक्षर महिला समूहों के सार्थकता स्तर जाँच के स्पष्ट हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है अर्थात् शिक्षा एक प्रमुख साधन है जिसका प्रभाव महिलाओं पर सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रतिमानों के प्रति अवधारणा में स्पष्ट अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

अतः परिकल्पना (1.9.1) अस्वीकृत की जाती है।

सारणी संख्या 4.3

साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं की आर्थिक दृष्टिकोण के प्रति अवधारणा का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मूल्य

क्र. स.	समूह	सं ख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
१	साक्षर	50	17.44	0.98	13.89	सार्थक
२	असाक्षर	50	12.02	2.51		

व्याख्या एवं विश्लेषण :—

उपरोक्त सारणी संख्या 4.7 दर्शाती है कि साक्षर महिलाओं का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 17.44 एवं 0.98 है जबकि असाक्षर महिलाओं का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 12.02 एवं 2.51 है। दोनों वर्गों का टी. मूल्य 13.89 प्राप्त हुआ। यह मान .05 स्तर पर सार्थक है।

महिला समूहों में सार्थकता स्तर जाँच से स्पष्ट है कि महिलाओं के आर्थिक दृष्टिकोण पर भी शिक्षा का काफी प्रभाव पड़ता है अर्थात् शिक्षा का प्रभाव महिलाओं के आर्थिक दृष्टिकोण पर स्पष्ट अन्तर दृष्टिगोचर होता है।

अतः परिकल्पना (1.9.7) अस्वीकृत की जाती है।

सारणी संख्या 4-4

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सामाजिक कुरीतियों के प्रति अवधारणा का मध्यमान, मानक विचलन एवं टी मूल्य

क्र. स.	समूह	सं ख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
१	शहरी	70	43.38	9.71	2.34	सार्थक
२	ग्रामीण	30	38.10	10.62		

व्याख्या एवं विश्लेषण :—

उपर्युक्त सारणी अनुसार शहरी क्षेत्र की महिलाओं का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 43.38 है एवं

9.71 है तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का मध्यमान एवं मानक विचलन क्रमशः 38.1 एवं 10.62 है। दोनों समूहों से टी. मूल्य 2.34 प्राप्त हुआ। यह टी मूल्य .05 स्तर पर सार्थक है।

इससे स्पष्ट है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों के प्रति अवधारणा में सार्थक अंतर पाया जाता है।

अतः परिकल्पना (1.9.11) अस्वीकृत की जाती है।

भावी शोध हेतु सुझाव :-

शोधकार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो भविष्य में तीव्र गति से अग्रसर होगी। अतः भविष्य में इस संबंध में और भी अधिक अनुसंधान कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं। भविष्य में किए जाने वाले शोधों के संबंध में कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं :—

१. इसी शोधकार्य को अपेक्षाकृत बड़े न्यार्दर्श पर किया जा सकता है।
२. राजस्थान के अन्य जिलों की महिलाओं पर भी इस शोधकार्य को प्रशासित किया जा सकता है।
३. प्रस्तुत शोधकार्य को विभिन्न व्यवसाय में कार्यरत महिलाओं पर प्रशासित किया जा सकता है।
४. ग्रामीण क्षेत्र की साक्षर एवं असाक्षर महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों के प्रति अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

५. विभिन्न वर्गवार (उच्चवर्गीय, मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय) महिलाओं पर भी यह शोध कार्य किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१	गहलोत चंद्र	जगदीश	राजस्थान का सामाजिक जीवन, देवेन्द्र गहलोत सन्चालक ,हिन्दी साहित्य मंदिर ,जोधपुर
२	चटोपाध्याय, कमलादेवी		स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वीमेन ऑफ इण्डिया, चीफ एडिटर,तारा अलीबेग
३	पाण्डेय विमलचंद्र	डॉ.	भारत वर्ष का सामाजिक इतिहास
४	वाजपेयी एस.आर.		सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण
५	आस्थाना, अग्रवाल विपिन		मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन
६	जॉन डी.वी. (लेखक डॉ. शर्मा)		शिक्षा तथा भारतीय समाज